न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर), शिवगंज जिला सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, R.A.S

प्रार्थी		अप्रार्थी
पुखराज पुत्र नवारामजी जाति सरगरा निवासी सरगरों का वास भेव तह0 शिवगंज	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार दत्ता

राजस्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

रा. प्रार्थना पत्र संख्या 36/2025

–:आदेश:–

दिनांक 21.11.2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा भेव, पटवार हल्का बागसीन, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पालडी, तहसील शिवगंज के खाता संख्या 111 में वर्णित खसरा संख्या 497/73 में रकबा 0.7501 हैक्टेयर कृषि भूमि आई हुई हैं, जो राजस्व रेकर्ड के 15/128 हिस्से पर प्रार्थी काबिज काश्त है। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि संवत 2073–2076 की खतौनी में प्रार्थी का नाम पकाराम पुत्र नवाराम, जाति सरगडा, सा. देह खातेदार दर्ज हैं जबकि प्रार्थी के अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी सभी दस्तावेजो आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मतदान पहचान पत्र इत्यादि में प्रार्थी का नाम पुखराज पुत्र नवारामजी, जाति सरगरा, हैं जो कि सही एवम् सत्य हैं उक्त दोनो नाम का व्यक्ति प्रार्थी एकमात्र स्वयं हैं। प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर की भूमि में नाम शुद्धिकरण हेतु हल्का पटवारी को प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के पास उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार रिपोर्ट दी गई जिसमें दर्शाया गया कि प्रस्तुत साक्ष्य आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मतदान पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम पुखराज पुत्र नवारामजी, जाति सरगरा हैं जबकि राजस्व रेकर्ड में पकाराम पुत्र नवाराम, जाति सरगडा दर्ज है। ऐसी स्थिति में पटवारी के स्तर से पकाराम पुत्र नवाराम, जाति सरगडा से पुखराज पुत्र नवारामजी, जाति सरगरा शुद्ध किया जाना संभव नहीं है। जिस पर उक्त शुद्धिकरण हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हैं तथा प्रार्थी द्वारा पूर्व में तहसीलदार शिवगंज को नाम शुद्धिकरण हेतु रिपोर्ट दी गई जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि सक्षम न्यायालय में वाद दर्ज कराया जाना आवश्यक है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन हैं कि मौजा भेव, पटवार हल्का बागसीन, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पालडी, तहसील शिवगंज के खाता संख्या 111 में वर्णित खसरा संख्या 497/73 की भूमि में पकाराम पुत्र नवाराम, जाति सरगडा के स्थान पर पुखराज पुत्र नवाराम, जाति सरगरा दर्ज कर राजस्व रेकर्ड शुद्ध करने की कृपा करावे।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से जवाब चाहा गया। तहसीलदार शिवगंज के पत्र कमांक कोर्ट/2025/546 दिनांक .08.2025 के द्वारा रिपोर्ट भिजवायी गई जिसमें अवगत कराया है कि जमाबंदी संवत 2073–2076 संवत् 2073 के खाता संख्या 192 खसरा नं. 73 रकबा 6.4669 हैक्टयर मे ना.सं. 1861 दिनांक 27.12.2018 (उत्तराधिकारी) से प्रार्थी का नाम पकाराम पुत्र नवाराम जाति सरगडा दर्ज हुआ है। वर्तमान ऑनलाईन जमाबंदी के खाता संख्या 111 में भी पकाराम पुत्र नवाराम जाति सरगडा सा.देह खातेदार दर्ज है। प्रार्थी के नाम शुद्धी के समर्थन में प्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 14.11.2025 को महेन्द्रकुमार व छगनलाल पुत्र नवाराम के शपथपत्र पेश किये जिस पर इसी दिन इनके बयान लिये गये व इसी दिन प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पर बहस की जिसे सुना गया।

लगातार पेज–2

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

प्र0सं0–36 / 2025
पुखराज बनाम तहसीलदार शिवगंज
अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, बयान, ग्राम पंचायत भेव का प्रमाण पत्र व तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन व उस पर गहनता से अध्ययन किया तो पाया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थी पकाराम व पुखराज एक ही व्यक्ति है। जिनका वादग्रस्त जमाबंदी में अशुद्ध नाम दर्ज हो गया है जिसे न्यायहित में सुधारा जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा भेव** के खाता संख्या नया 111 खसरा नं0 497 / 73 रकबा 0.7501 हैक्टयर में सा. देह खातेदार में दर्ज नाम पकाराम पुत्र नवाराम जाति सरगडा के स्थान पर **पुखराज पुत्र नवाराम** नाम दुरस्त किये जाने का **आदेश** दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज तदअनुसार पालना करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज मिश्र, R.A.S.)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांकः–कोर्ट / 2025 / 649

दिनांक 21–11–2025

प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार शिवगंज ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)